

प्रपत्र-''क''

(167) $\frac{1}{20 \cdot 3 \cdot 23}$

(नियम 3(1) देखें)

03/23

15/03/2023

पत्रांक..... 03/23

दिनांक 15/03/2023

प्रेषक: 'गुड सेमेरिटन' डॉ अमित कुमार,
पो ० बॉक्स नं ०-५९, एच०ओ० भागलपुर-१, बिहार
सेवा में,
लोक सूचना पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रांची।

विषय: केन्द्रीय **RTI-2005** की धारा **3(1)** तहत सूचना अभिलेख की मांग।

मन्त्रिवर

कृपया केन्द्रीय आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 3(1) तहत सत्यापित हिंदी भाषा प्रति बिल्कुल अक्षरश सुस्पष्ट सच्चा अभिलेख उपलब्ध कराना सनिश्चित करायें।

मांगी गई सूचना:-

सूचना विषय: आम सूचना पत्र सं0- पत्रांक रा0खा0आ0(समाचार पत्र) **13/2017-02** तिथि: **28/01/2020** संबंधित।

झारखंड सरकार,झारखंड राज्य खाद्य आयोग,रांची पत्रांक-रा०खा०आ०(समाचार पत्र) 13/2017-02 तिथि: 28/01/2020

(प्रकाशित विज्ञापन आप्राप्ति संख्या) के आलोक में आयोग के ई-मेल आईडी- jharkhandfoodcommission@gmail.com पर उक्त विज्ञापन अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि -10/02/2020 तक कुल आधीदत आवेदन की विवरणी सूचि सत्यापित रूप से उपलब्ध कराये।

(क) उक्त प्रकाशन विज्ञापन के अलालोक में आयोग द्वारा ब्याक-ब्याक अंतर रार्क की गई थी। उक्त नामों से मैं तक्तालीन लोकसेवक द्वारा की गई तमाम संचिका टिप्पणी, कारावाई रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायें।

(ख) उत्तर विज्ञापन प्रकाशन में आयोग द्वारा खुर्च की गई रशि की सच्चाना दें व जनहित में उत्तर विज्ञापन की उपयोगिता की सच्चाना दें।

(८) उक्त प्रवायन प्रकारान में जापान द्वारा खेल का नई रासा का सूखना दृष्टि जाहाज में उक्त प्रवायन का उपयोगिता का सूखना दृष्टि

(माणी गई सूचना अभिलेख जीवन व स्थिति संबंधित है जो 48 घंटे में प्रावधानत उपलब्ध करना चाहिए ताकि उस मामले का खरित निष्पादन हो सके।)

प्रावधानत **IPO** मूल रू दस संलग्न है। यथा मांगी गई सूचना लोकसूचना है।

कृप्या इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे त्वरित निष्पादन करना चाहेंगे।

अनुलग्नकः यथोपरि!

आपका विश्वासभाजन

~~क्रमांक १०३।२३~~

(1)
160

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, शौची

पत्रांक:- रा०खा०आ० (समाचार पत्र) 13/2017-02

रौंची, दिनांक :- 28.01.2020

आम सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 की धारा-40 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-7380, दिनांक-09.12.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली का गठन है एवं अधिसूचना संख्या-1632 दिनांक-13.04.2017 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त खाद्य एवं पोषण विषयक सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों के पाँच विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से आच्छादित निम्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित शिकायतों/अपीलों की सुनवाई के साथ-साथ राज्य सरकार को भेत्र्य देता है:-

1. जनवितरण प्रणाली कार्यक्रम
2. आंगनबाड़ी कार्यक्रम
3. मध्याहन भोजन कार्यक्रम
4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यक्रम

ज्ञात है कि स्वयंसेवी संस्थाओं/राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में संविदा पर कार्य करने वाले अथवा विभिन्न क्षेत्र से सेवानिवृत् अधिकारी/कर्मचारी/गृहिणी/छात्र/छात्राओं की अभिसूचि सामाजिक कार्यों से जुड़कर जरूरतमंद लोगों की सेवा/मदद करने की रही है और मदद करना चाहते हैं। अनुरोध है कि वैसे व्यक्ति/संस्था जो अपने कार्यों के अतिरिक्त उक्त कार्यक्रमों में स्वयंसेवी के रूप में शामिल होना चाहते हैं, वे आयोग को अपनी इच्छा/सूचना आयोग के ईमेल आईडी-10-jharkhandfoodcommission@gmail.com पर दिनांक-10.02.2020 तक भेज सकते हैं। आयोग के कार्यों की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट-www.jharkhandsfc.in से प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक व्यक्ति को कार्य करने के लिए झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग मंत्र एवं सक्षम व्यक्ति से अनुमति प्रदान कराना सुनिश्चित करेगा।

40/-
(मदन मोहनपाति त्रिपाठी)

P.R.224523 Jharkhand State Food Commission(19-20):D विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रौंची।

(२९/०१/२०२० हिन्दुस्तान अरबार)

Self Attested
स्वाक्षरित प्रमाणित

15/03/23